त्रिपक्षीय करार
(समुचित मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर)
रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
.....x सरकार
और
.....xx
के बीच करार

यह करार आज तारीख ..... 200 ..... को निम्नलिखित के बीच किया गया ।

रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर-4, स्कोप कॉम्पलैक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आरईसी " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति से जब तक कि संदर्भ से उसके विरूद्ध न हो, उसके उत्तरवर्ती तथा समनुदेशिति अभिप्रेत और सम्मिलित होंगे)

और

दूसरे पक्षकार के रूप में .....x ऊर्जा विभाग, ... सरकार के माध्यम से .....x के राज्यपाल, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "..... सरकार x x " कहा गया है, और इसके अंतर्गत उनके पद-उत्तरवर्ती भी है), जिनका कार्यालय..... पर अवस्थित है ।

और

तीसरे पक्षकार के रूप में .....xx जो विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 5 (i) और उसके संशोधनों के अधीन गठित एक निकाय है, जो ..... सरकार के स्वामित्वाधीन है, जिसका मुख्य कार्यालय ..... में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ..... कहा गया है और जिसके अंतर्गत जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उसके विरूद्ध न हो उसके उत्तरवर्ती तथा समनुदेशिती सम्मिलित हैं)

आरईसी, ...x सरकार तथा .....xx जिन्हें सामूहिक रूप से "पक्षकारों" कहा गया है तथा एकल रूप से "पक्षकार" कहा गया है ।

क. "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना --- ग्रामीण विद्युत अवसंरचना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण (आरजीजीवीवाई) तथा भारत सरकार; ऊर्जा मंत्रालय के तारीख 18 मार्च, 2005 के पत्र सं. 44/19/2004-डी (आरई) के कार्यालय ज्ञापन में सम्मिलित तथा जिसमें इसके संशोधनों भी है, नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसरण में, ...x राज्य के चयनित जिलों/क्षेत्रों .....x सरकार और ..... ग्रामीण लोगों तक विद्युत पहुंचाने के लिए परियोजना (ओं) (जिसके इसके पश्चात् परियोजना (एं) कहा गया है) को लागू करने का आशय करते हैं तथा आरईसी .....x सरकार की सहमति से और समय-समय पर आरईसी द्वारा स्वीकृत निबंधनों तथा शर्तों पर, जो ..... द्वारा आरंभ की गई अपनी-अपनी ऊर्जा परियोजनाओं के स्वीकृत पत्र (पत्रों) में अनुबद्ध है, ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सहमत हैं ।

ख. और पक्षकार यह करार करते हैं कि व्यष्टिक परियोजना (एं), जो .....xx द्वारा आरंभ की गई हैं; और वित्तीय वर्ष 2005-06 से आरंभ राष्ट्रीय कार्यक्रम - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना - ग्रामीण विद्युत अवसंरचना तथा ग्रामीण लोगों का विद्युतीकरण (आरजीजीवीवाई) स्कीम के अधीन आरईसी द्वारा स्वीकृत है, आरईसी द्वारा अधिसूचना पर इस करार के अधीन सम्मिलित समझी जाएंगी । आरईसी द्वारा जारी स्वीकृति पत्र में यथा अंतर्विष्ट विशिष्ट परियोजना के लिए आरईसी द्वारा स्वीकृत निबंधन तथा शर्त वर्तमान करार के भागतः या आंशिक होगी । स्वीकृति पत्र में स्वीकृति पत्र के लिए आरईसी द्वारा जारी अनुपूरक तथा उपांतरण, यदि कोई हैं, सम्मिलित हैं ।

ग. और .....x सरकार ने योजना, डिजाइन, इंजीनियरिंग (आरईसी के मार्गदर्शक सिद्धांतों, विनिर्देशों तथा संनिर्माण मानकों, जहां कहीं वे लागू हों) वाले पहचाने गए क्षेत्रों में परियोजनाओं की विरचना, विकास तथा कार्यान्वयन तथा तय प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रियाओं के अनुसार उपाप्ति और .....x सरकार की ओर से परियोजना (ओं) के अधीन उप-पारेषण के संनिर्माण/कार्यान्वयन/कमीशन तथा वितरण कार्य आरंभ करने के लिए ..... को जिम्मेदारी सौंपी हैं ।

ध. और .....x सरकार के कार्यक्रम के अधीन सम्मिलित .....xx परियोजनाओं के संनिर्माण के लिए उपगत किए जाने वाले व्यय की पूर्ति करने हेतु अपनी ओर से ..... को प्रत्यक्षतः परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां देने के लिए आरईसी को प्राधिकृत किया है ।

ड. ..... द्वारा आरईसी वित्तपोषित परियोजनाओं के विकास तथा कार्यान्वयन के लिए पृथक् खाते बनाए रखे जाएंगे ।

च. .....x सरकार तथा ..... x x यह वचनबंध करते हैं कि वे निम्नलिखित

क. फ्रैंचाइजियों के लिए ऐसी रीति से थोक प्रदाय टैरिफ का अवधारण करेगें जिससे उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके ।

ख. राज्य सरकार द्वारा राज्य उपयोगिताओं की अपेक्षित राज्य सहायिकी के उपबंधों को सुनिश्चित करेंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन यथा अपेक्षित हैं ।

छ. और .....x सरकार ऐसी व्यष्टिक परियोजना (ओं) के कार्यान्वयन पर सृजित आस्तियों की स्वामी होगी जो ..... x x द्वारा चलाई गए हों या राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन आरईसी द्वारा स्वीकृत हों । .....x सरकार ने परियोजना क्षेत्रों में विद्युत के प्रभावी प्रदाय परियोजना के अधीन सृजित आस्तियों में से व्युत्पन्न पारिमाणिक फायदों के लिए इन आस्तियों के प्रचालन तथा रखरखाव के लिए .....x x को प्राधिकृत किया है ।

ज. परियोजना लागत, यदि स्वीकृत है और जिसे सुसंगत नियमों तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार परियोजना क्षेत्र में फ्रैंचाइज व्यवस्थाओं के विकास के लिए आरईसी द्वारा ऋण तथा सहायिकी रूप में जारी किया गया है, के प्रति राशि के भाग को .....x सरकार इन परियोजनाओं के लिए आरईसी द्वारा जारी स्वीकृत पत्रों में यथा विस्तृत निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार आरईसी को ऐसी निधियों के ऋण संघटक, इन पर ब्याज तथा अन्य प्रभारों का प्रतिसंदाय करने का वचनबंध करती है ।

झ. और .....x सरकार तथा .....xx यह भी वचनबंध तथा विचार करते हैं कि परियोजना को पूरा करने से पूर्व निम्नलिखित व्यवस्था की जाएंगीः -

(***i***) स्कीम के अधीन वित्तपोषित परियोजना में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रैंचाइज का नियोजन तथा ऐसे फ्रैंचाइज के माध्यम से ग्रामीण संवितरण का प्रबंधन जो गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) उपयोक्ता संगम, सहकारी या व्यष्टिक उघम, पंचायत संस्थाएं हो सकेंगे । फ्रैंचाइज की व्यवस्था प्रणाली के परे के लिए की जा सकेगी तथा इसमें सब-स्टेशन फीडर भी सम्मिलित है तथा वितरण ट्रांसफार्मर सम्मिलित है ।

(ii) राज्य उपयोगिताओं को अपेक्षित राजस्व सहायिकी के उपबंध, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन अपेक्षित हैं । परियोजना क्षेत्र में राजस्व संपोषण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा उपभोक्ता संकरण तथा अभिभावी उपभोक्ता टैरिफ और संभावित भार के आधार पर, फ्रैंचाइज के लिए थोक प्रदाय टैरिफ फ्रैंचाइज की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के पश्चात्, अवधारित किया जाएगा । यह थोक प्रदाय टैरिफ राज्य उपयोगिताओं द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को प्रस्तुत अपनी राजस्व अपेक्षा तथा टैरिफ अवधारण के निवेदनों को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा । विद्युत अधिनियम के अधीन राज्य सरकार राज्य उपयोगिताओं को अपेक्षित राजस्व सहायिकियां प्रदान करने के लिए अपेक्षित हैं, यदि इसका टैरिफ उपभोक्ता के किसी प्रवर्ग के लिए एसईआरसी द्वारा अवधारित टैरिफ से कम होने की संभावना हो ।

(***iii***) शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच प्रदाय के घंटों में कोई भेदभाव किए बिना विद्युत के प्रदाय के लिए पर्याप्त व्यवस्था ।

ण. और .....x सरकार तथा ..... x x यह सुनिश्चित करेंगे कि ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के तारीख 18 मार्च, 2005 के संबंधित कार्यालय ज्ञापन के अनुसार परियोजना के अधीन ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई) सृजित करेंगे और यह अवसंरचना कृषि तथा अन्य क्रियाकलापों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी जिसमें सिंचाई पम्प सैट, छोटे तथा मध्यम उद्योग, खादी तथा ग्राम उद्योग, शीत चेन, स्वास्थ्य देख-रेख तथा शिक्षा तथा आईटी सम्मिलित है ।

च. .....x सरकार तथा .....xx उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाली तथा "आरजीजीवीवाई" के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के तारीख 18 मार्च, 2005 के संबंधित कार्यालय ज्ञापन सं. 44/19/2004-डी (आरई) में यथा अंतर्विष्ट पात्र परियोजनों के कार्यान्वयन के लिए सहमत हैं । .....x सरकार तथा ..... x x यह भी करार करते हैं कि यदि ऊर्जा मंत्रालय के तारीख 18 मार्च, 2005 के संबंधित कार्यालय ज्ञापन में उपदर्शित और उपरोक्त पैरा च और झ में उपदर्शित शर्तों के अनुसार परियोजना को समाधानपूर्वक पूरा नहीं किया जाता है तो परियोजना के लिए, पूंजी सहायिकी, यदि स्वीकृत है, को ब्याज वाले ऋण में संपरिवर्तित किया जाएगा ।

अब 'अतः' विलेखों तथा पारस्परिक करारों, प्रसंविदाओं तथा इसमें उल्लिखित शर्तों के प्रतिफलस्वरुप, जो इस करार के आंतरिक भाग होंगे, पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता हैः -

1.0 आरईसी द्वारा वित्त पोषित परियोजना

1.1 **(क)** .....xx परियोजना (ओं) के शीघ्र निष्पादन के लिए उपयोगिता के भीतर समर्पित संगठन स्थापित करेगा तथा ..... x सरकार की सहमति से समुचित रैंक के नोडल अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करेगा तथा इस करार के वृतांत के पैरा ड. के अधीन यथा अनुबद्ध उपबंधों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा । नोडल अधिकारी .....xx तथा ..... सरकार से यथाशीघ्र सुसंगत निकासी/आदेशों देने की भी व्यवस्था करेगा । ..... निष्पादित किए जाने वाले कार्य को अधिक महत्त्व देगा तथा विलंब से बचने के लिए आवश्यक आदेश जारी करके परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन में भी सहायता करेगा ।

(ख) ऐसे निर्मित प्ररूपों, जो आरईसी द्वारा विहित की जाए, के अनुसार निधियों को देने के लिए .....x सरकार की आवश्यक सहमति अभिप्राप्त कर लेने के पश्चात् इसमें विहित रीति से प्रगामी प्रतिपूर्ति दावों के प्रति निधि देने के लिए ..... x x द्वारा आरईसी व्यय के ब्यौरे भी प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(ग) परियोजना (ओं) की वस्तुतः तथा वित्तीय प्रगति का आवधिक पुनर्विलोकन तथा मानीटरिंग भी ..... x सरकार द्वारा की जाएगी और आरईसी को ऐसे रिपोर्ट की जाएगी जो आरईसी द्वारा विहित किया जाए ।

1.2 निधि जारी करने की पद्धति

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां .....x से विनिर्दिष्ट अनुरोध पर स्वीकृत परियोजनाओं के अधीन आरईसी द्वारा ..... को जारी की जाएगी तथा जो निम्नलिखित रीति से होगी

क. <u>पहली किस्त</u> - परियोजना की स्वीकृति पत्र के अनुसार ऋण दस्तावेज़ों के निष्पादन की तारीख से तथा सभी अपेक्षाओं, जिसमें ..... x सरकार तथा ..... द्वारा अपेक्षित विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के 15 दिन के भीतर परियोजना (ओं) की स्वीकृत परियोजना लागत (जिसमें आनुपातिक सेवा प्रभार तथा कानूनी कर भी सम्मिलित हैं) का 30% ।

पहली किस्त इस शर्त को पूरा करने के अधीन रहते हुए जारी की जाएगी कि संविदा देने के लिए बोली के मूल्यांकन को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा इस वचनबंध पर कि परियोजना (ओं) के निष्पादन के लिए संविदा आरईसी द्वारा पहली किस्त देने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्रदान की जाएगी ।

ख. <u>दूसरी किस्त</u> - पहली किस्त के 80% व्यय के लिए .....*सरकार की आवश्यक सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ..... x x द्वारा आरईसी को व्यय ब्यौरे प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर परियोजना लागत का 30% ।

ग. <u>तीसरी किस्त</u> - पहली तथा दूसरी किस्त के 80% व्यय के लिए .....** सरकार की आवश्यक सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ..... द्वारा आरईसी को व्यय ब्यौरे प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर स्वीकृत परियोजना लागत का 30% ।

घ. <u>चौथी किस्त (अंतिम किस्त)</u> - .....सरकार की आवश्यक सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् तथा आरईसी द्वारा अंतिम मानीटरिंग करने

के पश्चात् ..... द्वारा आरईसी को व्यय ब्यौरे तथा समापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से 30 दिन के भीतर स्वीकृत परियोजना लागत का 10 % ।

ड. नागरिकों के विकास के लिए निधि, यदि स्वीकृत की गई हो, आरईसी के अपने-अपने परियोजना स्वीकृति पत्रों में अनुबद्ध शर्तों के अनुसार जारी की जाएगी ।

च. .....सरकार** संबंधित दावा दस्तावेज़ों की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर उपरोक्त (ख), (ग) तथा (घ) पर .....* द्वारा दावे के रूप में व्यय की अपनी सहमति के लिए व्यवस्था करेगी ।

छ. .....संपरीक्षित लेखा के आधार पर ..... सरकार की सहमति के साथ आरईसी को ..... द्वारा अंतिम समापन लागत प्रस्तुत की जाएगी तथा अंतर, यथास्थिति, ... से आरईसी द्वारा संदत्त/वसूला जाएगा ।

ज. परियोजना पैरामीटरों में फेरफार के कारण परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियां, यदि कोई हो, ... को संदेय होगी जो इस करार के खंड 1.3 के उपबंधों के अधीन शासित होगी ।

1.3 परियोजना को कार्यान्वित करते समय, परियोजना पैरामीटरों में किसी फेरफार या परियोजना लागत में वृद्धि या कमी की दशा में, आरईसी से पुनरीक्षित स्वीकृति के प्रतिफलस्वरूप .....आरईसी को ..... तथा ..... सरकार के माध्यम से पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा । तकनीकी उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, आरईसी निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन लागत प्राक्कलनों की पुनरीक्षित, स्वीकृति पर विचार करें : -

1. विस्तार में परिवर्तन
2. कानूनी करों में परिवर्तन
3. कीमत उतार-चढ़ाव
4. अधिक समय लगना (परियोजना निष्पादित करने वाले अभिकरण के नियंत्रण से परे)
5. कम-आंकलन ।

1.4 <u>कर तथा शुल्क</u>

इस करार के अधीन सम्मिलित परियोजना (ओं) के निष्पादन के संबंध में .....xxx और/या उसके संविदाकारों पर किसी सरकार (केंद्रीय/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकायों/प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित/भारित सभी कानूनी कर/उद्ग्रहण, शुल्क उपस्कर, प्रवेश कर या किसी भी प्रकार के अधिरोपण तथा सेवा प्रभारों पर सेवा कर (जिसमें इसके फेरफार भी सम्मिलित है) जिसमें परियोजना की प्राक्कलित लागत सम्मिलित नहीं है, दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत करने और .....xx सरकार की आवश्यक सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऋण/सहायिकी के रूप में प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगे ।

1.5 राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन परियोजना (ओं) के कार्यान्वयन के लिए आरईसी द्वारा ..... को प्रत्यक्षतः जारी संपूर्ण राशि ऋण/सहायिकी के रूप में ..... सरकार द्वारा ली गई समझी जाएगी, तथा ..... सरकार इन परियोजना (ओं) के लिए आरईसी द्वारा जारी स्वीकृत पत्रों में यथा विस्तृत निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार आरईसी को ऐसी निधियों के ऋण संघटक, उन पर प्रोद्भूत ब्याज तथा आय प्रभारों का प्रतिसंदाय करने का वचनबंध करती है ।

2.0 उपयोग प्रमाणपत्र

.....x सरकार, भारत सरकार/आरईसी द्वारा विहित रीति से परियोजना (ओं) के कार्यान्वयन के लिए आरईसी द्वारा जारी निधियों के लिए उपयोग प्रमाणपत्र देगी ।

3.0 संनिर्माण/कार्यान्वयन

3.1 .....xxx को आरईसी द्वारा निधियों की पहली किस्त जारी करने की तारीख से अनुमोदित आरंभ होने वाली समय-सीमा के भीतर परियोजना (ओं) को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगा ।

3.2 और .....सरकारx तिमाही माइलस्टोन विनिर्दिष्ट करेंगे तथा इन माइलस्टोनों के संदर्भ के साथ प्रगति का पुनर्विलोकन तिमाही कार्य-निष्पादन पुनर्विलोकन बैठक में ..... सरकारx, ...xx तथा के प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ आरईसी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा ।

3.3 ..... परियोजना (ओं) के समापन में विलंब के लिए तथा माल तथा संकर्म की उपाप्ति से संबंधित अन्य सुसंगत संविदागत उपबंधों के लिए संविदाकारों के साथ

अपने करारों में परिनिर्धारित नुकसानी के उद्ग्रहण के लिए समुचित उपबंध समामेलित करेगा । इस संबंध में घोषणा इस करार के खंड 1.2 (छ) के अधीन के उपबंधों के अनुरूप परियोजना संबंधी वास्तविक लागत का निपटान करने से पूर्व ..... द्वारा प्रस्तुत की जाएगी । परिनिर्धारित नुकसानी, यदि कोई हो, के मद्दे सारी रकम, जो इस उपबंध के अधीन ..... द्वारा वसूली जा सकेगी, को पर्याप्त रूप से परियोजना लागत में समायोजित किया जाएगा ।

3.4 (क). समुचित प्रबंधन तथा नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वयन के दौरान ..... द्वारा बेहतर लागत नियंत्रण उपाय किए जाएंगे ।

(ख). परियोजना प्राधिकारी (.....x सरकारxx) तथा .....xx की ओर से, ... यह सुनिश्चित करेगा कि उपकरण तथा सामग्री विनिर्देश तथा संनिर्माण पद्धतियां तथा मानक आरईसी द्वारा अनुमोदित/अनुबद्ध हैं ।

4.0 परियोजना का अभिग्रहण

कमीशनिंग के पश्चात् .....xxx परियोजना को अभिग्रहण करना सुनिश्चित करेगा (यथास्थिति, पूर्णतः या भागतः) तथा अपने स्वयं के खर्चों पर तत्पश्चात् परियोजना का प्रचालन और रखरखाव (यथास्थिति पूर्णतः या भागतः) करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा इस करार के विवरण के पैरा ज और झ के अधीन पहले यथा उपदर्शित उपबंधों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा ।

5.0 माध्यस्थम

इस परियोजना से उद्भूत या इसके संबंध में पक्षकारों के बीच किसी मतभेद या विवाद को पक्षकारों के बीच विचार-विमर्श करके या सौहार्द्रपूर्ण रूप से निपटाया जाएगा । 60 दिन की अवधि के भीतर मतभेद या विवाद का निपटान होने की दशा में, इसे ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम तथा इस करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

6.0 अपरिहार्य घटना

पक्षकार इस करार के निबंधनों के अनुसार सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेंगे । तथापि, कोई भी पक्षकार किसी ऐसी हानि या नुकसानी, का दावा करने के लिए दायी नहीं होगी जो करार के निबंधन का कार्यान्वित न करने से उद्भूत हुई हो तथा

जो अग्नि, विद्रोह, बगावत, गृह युद्ध, बलवे, हड़ताल, तालाबंदी, प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटना, दैवी प्रकोप जैसी अपरिहार्य घटना के कारण और ऐसे अन्य कारण से उद्भूत हुई हो जो संबंधित पक्षकार के नियंत्रण में नहीं थी । इस खंड के फायदे का दावा करने वाला कोई भी पक्षकार ऐसी घटना के संबंध में दूसरे पक्षकार का समाधान करेगा तथा इस आशय की अन्य पक्षकार को 15 दिन को लिखित सूचना देगा । इस खंड के अधीन सम्मिलित सेवाएं ऐसी घटनाओं के समाप्त होने के पश्चात् संबंधित पक्षकारों द्वारा यथासाध्य शीध्र आरंभ की जाएंगी ।

7.0 करार का कार्यान्वयन

प्रयोग किए जाने वाले सभी विवेकाधिकारों तथा दिए जाने वाले निर्देशों, अनुमोदनों, सहमति तथा नोटिसों तथा इन विलेखों के अधीन की जाने वाली सभी कार्रवाईयां, जब तक कि अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, का प्रयोग किया जाएगा तथा करार के हस्ताक्षरकर्ताओं या प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जिन्हें प्रत्येक पक्षकार इस निमित्त नामनिर्दिष्ट कर सकेगा, द्वारा दी जाएगी तथा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा दूसरे पक्षकार को लिखित में अधिसूचित की जाएंगी । प्राधिकृत प्रतिनिधियों के किसी अन्य नामनिर्देशन और/या पदनाम में परिवर्तन की सूचना करार पर हस्ताक्षर करने के एक मास के भीतर ..... तथा आरईसी को/या उनके द्वारा लिखित में दी जाएगी । पदनाम/पंजीकृत कार्यालय के पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना सभी संबंधित पक्षकारों को लिखित में दी जाएगी ।

8.0. सूचना (नोटिस)

इस करार के अधीन अपेक्षित या निर्दिष्ट सभी सूचनाएं लिखित में होंगी तथा जब तक अन्यथा अधिसूचित न किया जाए उपरोक्त उल्लिखित पक्षकारों के अपने-अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित होंगी । ऐसी प्रत्येक सूचना सम्यक् रूप से दी गई जब समझी जाएंगी यदि इन्हें अन्य पक्षकार को पंजीकृत डाक, डाक विभाग के स्पीड पोस्ट या अभिस्वीकृति के साथ कूरियर सेवा द्वारा परिदत्त या सौंपा जाता है ।

9.0. पर्यवसान

यह करार तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक सभी पक्षकारों की सहमति से समाप्त न किया जाए।

10.0 **इन** विलेखों से उद्भूत होने वाले या उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में केवल दिल्ली स्थित सक्षम न्यायालय की ही अधिकारिता होगी ।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने नई दिल्ली में अपने प्राधिकृति प्रतिनिधियों के माध्यम से इन विलेखों का निष्पादन किया ।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
की ओर से

.....** की ओर से

ऊर्जा विभाग ..... सरकार
के माध्यम से ..... के
राज्यपाल की ओर से

.....** की ओर से

साक्षी 1
साक्षी 2
साक्षी 3
साक्षी 4